भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1387

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्याय प्रदायगी प्रणाली का डिजिटलीकरण

1387 # श्री मदन राठौड़ :

श्री बृज लाल :

श्रीमती सीमा द्विवेदी :

श्री मंयक कुमार नायक :

श्री मनन कुमार मिश्र :

श्री अमर पाल मौर्य :

श्री राजीव शुक्ला :

श्री बाबू राम निषाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के चरण-III के अंतर्गत अब तक प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और अन्य डिजिटल न्यायालय सेवाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम न्याय प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायिक सेवाओं की पंहुच और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन-कौन सी पहलें की गई हैं ; और

(घ) समयबद्ध न्याय प्रदान करने के संदर्भ में इन पहलों से अपेक्षित परिणाम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर में चरणबद्ध रीति से क्रियान्यवित किया जा रहा है । चरण-3 (2023-27) में अभिलेखों के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, आभासी सुनवाई के व्यापक उपयोग, न्याय संस्थानों में गहरी अंतर-संचालनीयता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

(एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से डिजिटल, कागज रहित और अधिक बुद्धिमान न्यायालयों की ओर परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। परियोजना के चरण -3 के अधीन हासिल की गई प्रगति का विवरण **उपाबंध-1** पर है।

(ख) से (घ) : उपाबंध-1 में उल्लिखित चरण तीन के अधीन प्राप्त प्रगति के अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के अन्य दो चरणों ने डिजिटल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी । 2011 में शुरू किया गया चरण-1 मुख्य रूप से न्यायपालिका के बुनियादी डिजिटल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित था। इसने 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की स्थापना और डिजिटल मामला प्रबंधन के लिए 13,672 न्यायालयों का सॉफ्टवेयर सक्षमकरण, 493 न्यायालयों और 347 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्राप्त की हैं।

इस आधार पर, चरण-2, 2015 से 2023 तक क्रियान्यवित किया गया, नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी कंप्यूटरीकरण के दायरे का विस्तार किया। कंप्यूटरीकृत न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार 3,240 न्यायालयों और 1,272 जेलों तक हो गया और वैन सन्योजकता 99.5% न्यायालय परिसरों तक पहुंच गई। इस चरण में फ्री एंड ओपन-सोर्स मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), जजमेंट एंड सर्च ऑर्डर पोर्टल जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म की शुरुआत और उन्नयन और ई-सेवा केंद्रों की स्थापना भी देखी गई।

एक साथ, इन पहलों का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को अपनाकर एक एकीकृत, पेपरलेस और डिजिटल न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, डिजिटल मामला प्रबंधन, सूचना विनिमय को मजबूत करना और न्यायिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।

उपाबंध-1

न्याय प्रदायगी प्रणाली के डिजिटलीकरण के संबंध में राज्य सभा प्रश्न संख्या 1387 जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

ई- न्यायालय चरण-3 के अधीन हुई प्रगति का विवरण:

क्र. सं.	घटक का नाम	उपलब्धि
1.	पूरी तरह से कार्यात्मक ईसेवा केंद्र	1806 को न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया
2.	कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना की स्थापना	474 न्यायालयों में आवश्यक हार्डवेयर से सुसज्जित हैं।
3.	मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल न्यायालय का विस्तार।	538 न्यायालय सुसज्जित हैं
4.	संपूर्ण न्यायालय अभिलेख का डिजिटलीकरण - विरासत अभिलेख और नए मामलों की फाइलिंग दोनों	753.60 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया
5.	न्यायालय के मामले की ई-फाइलिंग का कार्यान्वयन	4519 न्यायालय
6.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध अवसंरचना को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध	7553 प्रतिष्ठानों में न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों सहित वीसी सुविधाएं हैं।
7.	न्यायालय रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रणाली	11 उच्च न्यायालय
8.	आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौर सुविधाएं	1626 न्यायालय परिसर सुसज्जित हैं
9.	नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस (एनस्टैप) सुविधा प्रदान करना	6895 न्यायालयों में एन.एस.टी.ई.पी. सुविधा है।
10.	सभी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की वेबसाइटों का एस3डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन	734 न्यायालय स्थलों को स्थानांतरित किया गया
11.	दूसरे चरण में न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर	18380 न्यायालयों ने प्रदान किया
12.	न्यायालयों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण	सभी उच्च न्यायालयों ने आईसीजेएस को लागू किया है
13.	सभी हितधारकों का प्रशिक्षण	2372 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
14.	ज्ञान प्रबंधन	आईआईटी मद्रास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित कर रहा है
15.	संयोजकता	सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडीडब्ल्यूएएन) तकनीक से जुड़े 174 साइट
